

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ ३-७८ / २०१५ / १८-५
प्रति,

भोपाल दिनांक / / २०१५


1. कलेक्टर,
जिला सीहोर
2. संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
भोपाल ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत सीहोर
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सीहोर ।

विषय :—सीहोर विकास योजना 2011 में उपांतरण बाबत् ।

*२९/८/१५
२८/१२/१५-*
राज्य शासन ने सीहोर विकास योजना 2011 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है ।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें ।

संलग्न :— यथोपरि



पृ०क०-एफ ३-७८ / २०१५ / १८-५

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
भोपाल दिनांक १८/१२/२०१५

प्रतिलिपि :—

संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित ।

*R
28.12.15*

D'man(s)

ए. तच्छाल Website पर
upload करें।

Supt.
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
१८/१२/१५

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक १४/१२/२०१५

क्रमांक—एफ—३—७८/२०१५/३२: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) १९७३ (क्रमांक—१ सन् २०१२), की धारा २३—क की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन एतद द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट सीहोर विकास योजना २०११ में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खस्ता क्र.	प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू—उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू—उपयोग
1.	2.	3.	5.	6.	7.
1.	कस्बा सीहोर	1140 में से	12.745	कृषि	औद्योगिक
		1141 में से	0.518	कृषि	औद्योगिक
		1142 में से	8.666	कृषि	औद्योगिक
2	वडियाखेडी	268 में से	1.680	कृषि	औद्योगिक
		269 में से	16.856	कृषि	औद्योगिक
		226 में से	2.541	कृषि	औद्योगिक
3		213 में से	1.603	कृषि	औद्योगिक

	खुर्शिदपुरा	214 में से	4.864	कृषि	औद्योगिक
		198 में से	1.679	कृषि	औद्योगिक
		167 में से	2.872	कृषि	औद्योगिक
		160 / 1 में से	1.230	कृषि	औद्योगिक
4	जहांगीरपुरा	224 में से	5.569	कृषि	औद्योगिक
		225 में से	3.178	कृषि	औद्योगिक
		226 / 1 में से	0.600	कृषि	औद्योगिक
		226 / 2 में से	5.228	कृषि	औद्योगिक
		227 में से	11.902	कृषि	ओद्योगिक
		229 में से	8.159	कृषि	औद्योगिक
		230 में से	4.274	कृषि	औद्योगिक
		231 में से	9.105	कृषि	औद्योगिक
		235 में से	7.446	कृषि	औद्योगिक
		236 में से	9.105	कृषि	औद्योगिक
		237 में से	4.929	कृषि	औद्योगिक
		238	7.460	कृषि	औद्योगिक
नोट:- राजस्व अभिलेख में दर्ज नाले एवं मार्ग के अंतर्गत आने वाली भूमि को छोड़ना					


					आवश्यक होगा तथा विकास अनुमति प्राप्त करते समय नाले व मार्ग की भूमि यथावत रखना अनिवार्य होगा ।
		योग—	133.301 हेठो		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सीहोर (भोपाल) तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,



(एस के मुदगल)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Environment Department
MINISTRY

Notice for modification in development Plan

Bhopal, Dated 18/12/2015

No. F-3-78/2015/32 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Sehore Development Plan, 2011 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No.	Village	Khasara No.	Area (In Hectare)	Land use specified in the development plan	Modified land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Kasba Sehore	Out of 1140	12.745	Agriculture	Industrial
		Out of 1141	0.518	Agriculture	Industrial
		Out of 1142	8.666	Agriculture	Industrial
2.	Vadiyakhedi	Out of 268	1.680	Agriculture	Industrial
		Out of 269	16.856	Agriculture	Industrial
		Out of 226	2.541	Agriculture	Industrial
3.	Khurshidpura	Out of 213	1.603	Agriculture	Industrial
		Out of 214	4.864	Agriculture	Industrial
		Out of 198	1.679	Agriculture	Industrial
		Out of 167	2.872	Agriculture	Industrial
		Out of 160/1	1.230	Agriculture	Industrial
4.	Jahangirpura	Out of 224	5.569	Agriculture	Industrial
		Out of 225	3.178	Agriculture	Industrial
		Out of 226/1	0.600	Agriculture	Industrial

		Out of 226/2	5.228	Agriculture	Industrial
		Out of 227	11.902	Agriculture	Industrial
		Out of 229	8.159	Agriculture	Industrial
		Out of 230	4.274	Agriculture	Industrial
		Out of 231	9.105	Agriculture	Industrial
		Out of 235	7.446	Agriculture	Industrial
		Out of 236	9.105	Agriculture	Industrial
		Out of 237	4.929	Agriculture	Industrial
	238		7.460	Agriculture	Industrial
				Note :- Nallah and Road as per Revenue Record must be left free and land of Nallah and Road must be kept as it is, at the time of development permission.	
		Total	133.301 Hect.		

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Joint Director, Town and Country Planning, Sehore (Bhopal) as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of publication of this notice. Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Environment Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and Suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,


 (S.K.Mudgal)
 Deputy Secretary
 Government of Madhya Pradesh
 Urban Development And Environment
 Department